राजद्रोह कानून

प्रलिमि्स के लयि:

राजद्रोह, धारा 124A, सर्वोच्च न्यायालय, IPC, अनुच्छेद 19

मेन्स के लयि:

राजद्रोह कानून - महत्त्व और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने **सर्वोच्च न्यायालय** को बताया है कि **सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A (राजद्रोह) की "पुन: परीक्षा की प्रक्रयिा" शुरू कर दी है** और इस संबंध में परामर्श अपने "अंतमि चरण" में हैं।

- **मई 2022 में** न्यायालय ने एक अंतरमि आदेश में देश भर में **धारा 124A** के तहत **लंबति आपराधकि मुकदमों और न्यायालयी कार्यवाही को रोकते** हुए धारा **124A के उपयोग को नलिंबति कर दयि था।**

राजद्रोह कानून:

- **ऐतहािसकि पृष्ठभूमि:**
  - राजद्रोह कानून को **17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अधनियिमति कयिा गया था,** उस समय वधिनिर्िमाताओं का मानना था कि सरकार के प्रतिअच्छी राय रखने वाले वचिारों को ही केवल अस्तति्त्व में या सार्वजनकि रूप से उपलब्ध होना चाहयि, **क्योंकि गलत राय सरकार तथा राजशाही दोनों के लयि नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।**
    - **इस कानून का मसौदा मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रटिशि इतहािसकार और राजनीतज्ञि थॉमस मैकाले द्वारा तैयार कयिा गया था,** लेकनि वर्ष 1860 में भारतीय दंड सहतिा (IPC) लागू करने के दौरान इस कानून को IPC में शामलि नहीं कयिा गया।
  - **धारा 124A को 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश कयि गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था** जब उन्होंने अपराध से नपिटने के लयि एक वशिष्टि खंड की आवश्यकता महसूस की थी।
    - **वर्तमान में भारतीय दंड संहतिा (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।**
- **वर्तमान में राजद्रोह कानून:**
  - **भारतीय दंड संहतिा (IPC) की धारा 124A:**
    - यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परभिाषति करता है जसिमें 'कसिी व्यक्तदि्वारा भारत में कानूनी तौर पर **स्थापति सरकार के प्रतमिौखकि, लखिति (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न कयिा जाता है।**
      - **वद्रिोह में वैमनस्य और शत्रुता की भावनाएँ शामलि होती हैं।** हालाँकि इस धारा के तहत **घृणा या अवमानना फैलाने की कोशशि** कयि बगैर की गई टप्पिणयिों को अपराध की श्रेणी में शामलि नहीं कयिा जाता है।
      - **बलवंत सहि बनाम पंजाब राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने** दोहराया कि भाषण को देशद्रोही करार देने से पहले उसके वास्तवकि इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहयि।
- **दंड:**
  - राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  - इस कानून के तहत आरोपति व्यक्तिको **सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।**
    - आरोपति **व्यक्तिको पासपोर्ट के बनिा रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना ज़रूरी है।**

राजद्रोह कानून का महत्त्व:

- **उचति प्रतबिंध**
    - भारत का संवधिान अपने नागरकिों को भाषण और अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
        - हालाँकि **यह अधकिार पूरण नहीं है और सरकार यह सुनश्चिति करने के लयि कुछ परस्थितियों में इसे प्रतबिंधति कर सकती है** ताकि इसका दुरुपयोग न हो।
    - इन प्रतबिंधों को उचति माना जाता है और संवधिान के [अनुच्छेद 19(2)] में नरि्धारति कयिा गया है।
- **एकता और अखंडता बनाए रखना:**
    - राजद्रोह कानून सरकार को **राष्ट्र-वरिोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।**
- **राज्य की स्थरिता को बनाए रखना:**
    - यह चुनी हुई सरकार को हसिा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है।
    - कानून द्वारा स्थापति सरकार का नरिंतर अस्तत्वि राज्य की स्थरिता के लयि एक अनविार्य शर्त है।

संबंधति मुद्दे:

- **औपनवेशकि युग का अवशेष:**
    - औपनवेशकि प्रशासकों ने ब्रटिशि नीतयिों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लयि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कयिा।
        - [लोकमान्य तलिक], [महात्मा गांधी], [जवाहरलाल नेहरू], [भगत सहि] आदि स्वतंत्रता आंदोलन के दग्गिजों को ब्रटिशि शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतविधियों के लयि दोषी ठहराया गया था।
- **संवधिान सभा का मत:**
    - संवधिान सभा संवधिान में राजद्रोह को शामलि करने के लयि सहमत नहीं थी क्योंकि **सदस्यों को लगा कि यह बोलने और अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देगा।**
    - उन्होंने तर्क दयिा कि राजद्रोह कानून को वरिोध करने के **लोगों के वैध और संवैधानकि रूप से गारंटीकृत अधकिार को दबाने** के लयि एक हथयिार में बदल दयिा जा सकता है।
- **लोकतांत्रकि मूल्यों का दमन:**
    - मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के **कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण** भारत को एक नरि्वाचति नरिंकुशता के रूप में वर्णति कयिा जा रहा है।

देशद्रोह के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वगित नरि्णय:

- वर्ष 1950 की शुरुआत में ***[illegible]*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजति करती है, ***[illegible]*** एक न्यायोचति आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहयि जैसे कि सुरक्षा को कमज़ोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना।"
- इसके बाद दो उच्च न्यायालयों- ***[illegible] (1951)*** मामले में पंजाब और हरयिाणा उच्च न्यायालय तथा ***[illegible] (1959)*** मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***IPC [illegible] 124A [illegible]*** जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लयि ***[illegible]*** एवं प्रावधान को असंवैधानकि घोषति कर दयिा।
- ***[illegible] (1962)*** मामले में देशद्रोह पर फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारजि कर दयिा और **IPC की धारा 124A की संवैधानकि वैधता को बरकरार रखा।** हालाँकि **न्यायालय ने इसके दुरुपयोग की गुंज़ाइश को सीमति** करने का प्रयास कयिा।

हाल के वकिास:

- [फरवरी 2021] में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतकि नेता और छह वरषि्ठ पत्रकारों को कथति रूप से ट्वीट करने एवं असत्यापति समाचार साझा करने हेतु उनके खलिाफ दर्ज कई राजद्रोह FIR से सुरक्षति कयिा।
- [जून 2021] में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो तेलुगू (भाषा) समाचार चैनलों को **जबरदस्ती की कार्रवाई से बचाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह की सीमा को परभिाषति करने पर ज़ोर दयिा।**
- [जुलाई 2021] में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचकिा दायर की गई थी, जसिमें राजद्रोह कानून पर फरि से वचिार करने की मांग की गई थी।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कानून जो **'सरकार के प्रति असंतोष' जैसे शब्दों की अस्पष्ट और असंवैधानकि परभिाषाओं के आधार पर अभवि्यक्ति का अपराधीकरण करता है, वह अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत गारंटीकृत अभवि्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलकि अधकिार** पर उचति प्रतबिंध नहीं है।
- इस तरह का कानून अभवि्यक्ति पर एक **द्रुतशीतन प्रभाव उत्पन्न करता है,** जसिका अर्थ है कि **लोग सरकार द्वारा दंडति कयि जाने के डर से स्वयं को सेंसर या सीमति करेंगे अथवा अपनी राय व्यक्त** करने से परहेज करेंगे।

आगे की राह

- **न्यायालय का हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अगर यह प्रावधान को रद्द कर देता है,** तो उसे केदार नाथ के फैसले को रद्द करना होगा एवं पहले के फैसलों को बरकरार रखना होगा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पर उदार थे।
    - यदि सरकार भाषा को कमज़ोर करके या इसे निरस्त करके कानून की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, तो **प्रावधान को एक अलग रूप में फिर से बहाल किया जा सकता है।**
- **उच्च न्यायपालिका को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति मजिस्ट्रेट और पुलिस को संवेदनशील** बनाने हेतु अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहिये।
- भारत की क्षेत्रीय अखंडता और देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल करने हेतु **राजद्रोह की परिभाषा को संक्षिप्त किया जाना चाहिये।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sedition-law-10